

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

शेख इम्तियाज़ुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन

बनाम

भारत संघ

2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.1081

[साथ ही 2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 865]

08 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष कुमार एवम्
माननीय श्री न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)

विचार के लिए मुद्दा

क्या अभियोजन ने तलाशी, जब्ती और जाँच में एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धाराओं 42, 50, 52(ए) और 57 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किया था; क्या एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 23(ग) के अंतर्गत दोषसिद्धि, सीमा पार तस्करी के प्रमाण के अभाव में, न्यायोचित थी?

हेडनोट्स

नमूने मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं लिए गए थे, किन्तु अभियुक्तों के शरीर की तलाशी के समय फोटोग्राफ लिए गए थे। (पैरा - 37)

नमूने एक सहायक के माध्यम से प्रयोगशाला भेजे गए और सूची का प्रमाणीकरण मजिस्ट्रेट ने किया, जिसने पाया कि नमूने लिए जाने के बाद शेष मादक पदार्थ नष्ट किए जा सकते हैं। (पैरा - 38)

परिस्थितियाँ यह नहीं दर्शाती कि अभियुक्तों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है अथवा उनके झूठे फँसाए जाने की संभावना है। (पैरा - 44)

नमूने मौके पर छापामार दल के समक्ष लिए गए और उचित रूप से क्रमांकित किए गए। बिना किसी विलंब के नमूने रासायनिक प्रयोगशाला भेजे गए, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट ने यह पुष्टि की कि यह मादक पदार्थ था और कुछ और नहीं। (पैरा - 45)

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 23(ग) के अंतर्गत अभियुक्तों की दोषसिद्धि का कोई प्रमाण नहीं है। अभियुक्तों की दोषसिद्धि धारा 20(ख)(ii)(ग) एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत पुष्टि की जाती है। (पैरा - 49, 52)

न्याय दृष्टान्त

भारत संघ बनाम मोहनलाल एवं अन्य, (2016) 3 एस.सी.सी. 379; रिजवान खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2020) 9 एस.सी.सी. 627; सुरेन्द्र कुमार बनाम पंजाब राज्य, (2020) 2 एस.सी.सी. 563; राज्य (दिल्ली प्रशासन) बनाम सुनील एवं अन्य, (2001) 1 एस.सी.सी. 652; मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य, (2018) 17 एस.सी.सी. 627; मुकेश सिंह बनाम राज्य (नारकोटिक्स शाखा, दिल्ली), (2020) 10 एस.सी.सी. 120

अधिनियमों की सूची

मादक द्रव्य और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985

मुख्य शब्दों की सूची

एन.डी.पी.एस. अधिनियम; धारा 42 अनुपालन; धारा 50 अनुपालन; धारा 52(ए) नमूना प्रक्रिया; धारा 23(ग) दोषसिद्धि; तलाशी और जब्ती; स्वतंत्र गवाह; व्यावसायिक मात्रा; दंड में समानता

प्रकरण से उत्पन्न

31.05.2019 को दिया गया निर्णय और 10.06.2019 को पारित आदेश, जो 1 ले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी द्वारा एन.डी.पी.एस. मामला संख्या 70/2017, सी.आई.एस. संख्या 221/2016 में पारित किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2019 के आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1081 में)

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री सुनील कुमार संख्या III; श्री बिजेन्द्र कुमार, अधिवक्ता उत्तरदाताओं/ओं की ओर से: श्री मनोज कुमार सिंह, सी.जी.सी.; श्री अंकित कुमार सिंह, सी.जी.सी. के जेसी

(2019 के आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 865 में)

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री सौरेंद्र पांडेय, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/ओं की ओर से: श्री मनोज कुमार सिंह, सीजीसी; श्री अंशुमन सिंह, सीजीसी के
जेसी

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.1081

थाना- सरकारी आधिकारिक परिवाद सं. 70, वर्ष- 2017, जिला-पूर्वी चंपारण से उद्धृत।

=====

1. शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन, आयु लगभग 30 वर्ष, पुरुष, पिता- शेख अयूब, निवासी-
गाँव-43, एकबालपुर लेन, थाना- एकबालपुर, पोस्ट- खिदरपुर, कोलकाता- 700023 ।
2. सुजय दास, आयु लगभग 30 वर्ष, पुरुष, पिता- गोपाल दास, निवासी मोहल्ला- रामपुर
मध्यपाड़ा, वार्ड-11, महेशतल्ला (एम), थाना- महेशतल्ला, जिला- दक्षिण 24, परगना, पश्चिम
बंगाल- 700141

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

भारत संघ, एन.सी.बी. विभाग के माध्यम से, नई दिल्ली, बिहार।

... .. उत्तरदाताओं/ओं

=====

के साथ

2019 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 865

थाना- सरकारी आधिकारिक परिवाद सं. 70, वर्ष- 2017, जिला-पूर्वी चंपारण से उद्धृत।

=====

शेख वज़ीद, पुरुष, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता- शेख हामिद, निवासी- गाँव-7 बी, एच/6,
राजब अली लेन, थाना- एकबालपुर, कोलकाता-700023।

... .. अपीलकर्ता/ओं

बनाम

भारत संघ, सीमा शुल्क विभाग, रक्सौल, जिला- पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) के माध्यम से।

... .. उत्तरदाताओं/ओं

=====

उपस्थिति :

(2019 के आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1081 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री सुनील कुमार सं. III, अधिवक्ता
श्री बिजेंद्र कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/ओं के लिए : श्री मनोज कुमार सिंह, सीजीसी
श्री अंकित कुमार सिंह, सीजीसी के जेसी

(2019 के आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 865 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री सौरेंद्र पांडे, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं/ओं के लिए : श्री मनोज कुमार सिंह, सीजीसी
श्री अंशुमन सिंह, सीजीसी के जेसी

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

दिनांक 08-08-2023

2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1081 और 2019 की 865 दोनों
अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है और इस समान निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया
जा रहा है।

2. श्री सुनील कुमार सं.।।।, अपीलकर्ताओं, अर्थात् शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन और सुजय दास की ओर से 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1081 में उपस्थित हुए हैं जबकि श्री सौरेंद्र पांडे 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 865 में अपीलकर्ता, शेख वाजिद की ओर से उपस्थित हुए हैं।

3. अपीलकर्ता सहित चार व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया है, जिनमें से केवल तीन व्यक्तियों (अपीलकर्ता) को दोषी ठहराया गया है और चौथे अभियुक्त व्यक्ति, गोविंद मगर को निचली अदालत ने बरी कर दिया है।

4. तीनों अपीलकर्ताओं को एन.डी.पी.एस. वाद सं. 70/2017, सीआईएस सं. 221/2016 में मोतिहारी स्थित पूर्वी चंपारण के विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 31.05.2019 को पारित निर्णय के अनुसार स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे आगे एन.डी.पी.एस. अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20(बी)(ii) (सी) और 23(सी) के तहत दोषी ठहराया गया है और दिनांक 10.06.2019 के आदेश द्वारा, अपीलकर्ताओं/ शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन और सुजय दास को 12 साल के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही प्रत्येक को ₹1 लाख का जुर्माना भी देना होगा, और जुर्माना अदा न करने पर, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत अपराध के लिए 6 महीने के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भी काटनी होगी। अपीलकर्ता/शेख वाजिद को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत अपराध के लिए 10 साल के लिए सश्रम कारावास, 1 लाख रुपये का जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। तीनों अपीलकर्ताओं को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 23(सी) के तहत अपराध के लिए 10 वर्ष के लिए सश्रम कारावास, प्रत्येक को ₹10,000/- का जुर्माना अदा करने तथा जुर्माना

अदा न करने पर 6 महीने के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई है। सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

5. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि क्योंकि अपीलकर्ताओं/शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन और सुजय दास के पास से 8 किलो चरस और अपीलकर्ता/शेख वाजिद के पास से 4 किलो चरस पाया गया था, इसलिए सजा के संबंध में कुछ अंतर किया गया है।

6. मनोज कुमार (अ.सा.-2) इस मामले के शिकायतकर्ता हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें 27.08.2017 को लगभग 09:30 बजे एक गुप्त जानकारी मिली थी कि चार आरोपी व्यक्ति काठमांडू से रक्सौल होते हुए चरस की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं। दिन के लगभग 10 बजे तक इस खबर की फिर पुष्टि हो गई। उन्होंने भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के एक निरीक्षक के रूप में आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए सीमा के पास एक स्थान पर अवरोधक लगाने का निर्देश दिया। जिस दल का गठन किया गया था, उसने एक टोंगा (घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी) को देखा, जिसे रुकने का संकेत दिया गया था। उक्त टोंगा चलाने वाले व्यक्ति को छोड़कर चार लोग उस पर बैठे पाए गए। पड़ोस के दो व्यक्तियों से तलाशी और जब्ती प्रक्रिया के गवाह बनने का अनुरोध किया गया था, दोनों से मुकदमे में पूछताछ नहीं की गई है और न ही ऊपर उल्लिखित परिवाद में उनके नामों का खुलासा किया गया है। तीनों अपीलकर्ता अपने-अपने शरीर में कुछ छिपाए हुए पाए गए, जिसके कारण उनकी व्यक्तिगत खोज की आवश्यकता पड़ी।

7. परिवाद में आगे खुलासा किया गया है कि उन्हें एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत व्यक्तिगत तलाशी के लिए एक नोटिस दिया गया था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उनके पास सीमा शुल्क के किसी भी दंडाधिकारी या राजपत्रित अधिकारी के समक्ष खुद की तलाशी लिए जाने का विकल्प था।

8. चूंकि वे सभी सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने तलाशी लिए जाने के लिए सहमत हुए, इसलिए उनकी तलाशी ली गई और अपीलकर्ताओं के कब्जे से कुल 20 किलोग्राम चरस बरामद किया गया। शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन और सुजय दास (2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1081) में प्रत्येक अपने शरीर पर 8 किलो चरस रखे हुए थे, जबकि शेख वाजिद (2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 865) के पास 4 किलो चरस पाया गया। उनके पास से कुछ नकदी भी बरामद की गई, जिसका विवरण परिवाद में दिया गया है। इस तरह के पैसे को सीमा शुल्क विभाग द्वारा कभी नहीं रखा गया था, बल्कि उनके संबंधित मालिकों को वापस कर दिया गया था।

9. प्रत्येक अपीलकर्ता से बरामद चरस के पैकेटों को उनकी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तौला गया। इसका मूल्यांकन जब्ती की तारीख को ₹ 40 लाख होने का अनुमान लगाया गया था। अपीलकर्ताओं से बरामद प्रत्येक पैकेट से थोड़ी मात्रा में 25 ग्राम वजन वाले तीन प्रतिनिधि नमूने लिए गए तथा सभी अपीलकर्ताओं और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उन्हें अलग-अलग चिह्नित कर सीलबंद किया गया। उन सभी ने इस पर हस्ताक्षर भी किए थे।

10. परिवाद में आगे बताया गया है कि तलाशी और जब्ती की औपचारिकताओं का पंचनामा भी तैयार किया गया था और औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ऐसे दस्तावेजों की छायाप्रति अपीलकर्ताओं को सौंप दी गई थी। उन्हें एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत समन भी भेजा गया था और उनके स्वैच्छिक और साथ ही पूछताछ संबंधी बयान एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 67 और 68 के तहत दर्ज किए गए थे। अपने बयानों में, उन्होंने स्वीकार किया कि गोविंद मगर (बरी होने के बाद) के मनाने पर, वे नेपाल से भारत में मादक पदार्थ लाने के लिए सहमत हुए। पूरी योजना गोविंद

मगर द्वारा बनाई गई थी, जो नेपाल के काठमांडू से रक्सौल होते हुए भारत आए थे। अपीलकर्ताओं को खच्चर शुल्क का भुगतान करने का वादा किया गया था।

11. इसके बाद, सभी अपीलकर्ताओं को चिकित्सा जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रक्सौल ले जाया गया और उन्हें दूरसंचार पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करने के लिए समय और स्थान दिया गया। इसके बाद ही उन्हें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी के समक्ष उनकी न्यायिक हिरासत के लिए 29.08.2017 पर पेश किया गया, जब उन्हें प्रभारी पदाधिकारी, केंद्रीय कारा, मोतिहारी की हिरासत में भेज दिया गया।

12. जब्त किए गए नमूनों को रासायनिक जांच के लिए संयुक्त निदेशक, रासायनिक प्रयोगशाला, सीमा शुल्क घर, कोलकाता भेजा गया। जब्त की गई चरस का शेष भाग, जिसका वजन लगभग 19.775 किलोग्राम था, चंपारण स्थित सीमा शुल्क गोदाम में जमा कर दिया गया। कोलकाता स्थित रासायनिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट ने पुष्टि की कि ये नमूने भांग के पौधे के रालयुक्त अर्क के लिए रासायनिक और क्रोमैटोग्राफी परीक्षण में सफल रहे।

13. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने 19.11.2017 को प्रमाणित किया कि शेष माल को नष्ट करके उसका निपटान किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश, मोतिहारी ने इस तरह के प्रमाणन पर शेष चरस को नष्ट करने की अनुमति दी और जब्त किए गए नशीले पदार्थों के प्राथमिक साक्ष्य के रूप में विनाश प्रमाण पत्र को संरक्षित किया गया।

14. इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (b) (ii) (c) और 23 (c) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

15. विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह से पूछताछ करने और पक्षों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न दस्तावेजों के अवलोकन के बाद, अपीलकर्ताओं को उपरोक्त के अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

16. हालाँकि, उपरोक्त गोविंद मगर को बरी कर दिया गया क्योंकि उसके खिलाफ किसी भी तरह से मादक पदार्थ रखने या मादक पदार्थों का व्यापार करने का कोई सबूत नहीं था।

17. श्री सुनील कुमार सं. III और श्री सौरेंद्र पांडे, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं ने बहुत दृढ़ता से तर्क दिया है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों में से किसी का भी, विशेष रूप से धारा 42, 52(ए) या 57 का पालन नहीं किया गया है, जो अभियोजन मामले को अत्यधिक संदिग्ध बनाता है, जिससे अपीलकर्ताओं को बरी करने का अधिकार मिलता है। यहां तक कि जिन दो स्वतंत्र गवाहों के सामने तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया पूरी की गई थी, उनके नाम भी परिवाद याचिका में नहीं बताए गए थे और न ही मुकदमे में उनकी जांच की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा उनके नाम छिपाने और उन्हें गवाह के रूप में पेश नहीं करने के लिए भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अंत में, यह तर्क दिया गया है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52(ए) के खंड 2 में निहित प्रावधानों के अनुसार दंडाधिकारी के समक्ष कोई सूची नहीं बनाई गई थी, जो कि वैधानिक प्रावधानों के और एन.सी.बी. के स्थायी निर्देशों के साथ-साथ **भारत संघ बनाम मोहनलाल एवं अन्य; (2016) 3 एससीसी 379** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था।

18. इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि गवाहों के बयान से, यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि दो स्वतंत्र व्यक्तियों को पढ़ना और लिखना नहीं आता था, लेकिन प्रदर्श से पता चलता है कि उन्होंने जब्ती दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे।

19. अपीलकर्ता यह जानने से चूक गए हैं कि ये लोग कौन थे, जिन्हें कागज पर गवाह दिखाया गया था, लेकिन न तो परिवाद में नाम दिया गया था और न ही विचारण न्यायालय के समक्ष लाया गया था।

20. श्री सौरेंद्र पांडे ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि नमूने की अपेक्षित मात्रा रासायनिक प्रयोगशाला, कोलकाता को नहीं भेजी गई थी क्योंकि कुछ नमूने अपेक्षित वजन से अधिक थे, जबकि कुछ में कमी थी, हालांकि केवल नाममात्र के लिए।

21. इन सभी पहलुओं को यदि एक साथ देखा जाए तो तर्क यह है कि अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। विचारण न्यायालय के द्वारा दिए गये फैसले के औचित्य पर, एक ओर अपीलकर्ताओं/शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन और सुजय दास और दूसरी ओर अपीलकर्ता/शेख वाजिद के बीच अंतर करते हुए, केवल बरामद मादक पदार्थों की मात्रा में अंतर के आधार पर, भले ही दोनों मामलों में यह वाणिज्यिक मात्रा से अधिक था, यह बताया गया है कि अपीलकर्ताओं के दो समूहों को अलग-अलग सजा दी गई है। यह आगे दर्शाता है कि जहां तक सजा का संबंध है, विचारण न्यायालय द्वारा विवेक का उपयोग नहीं किया गया है।

22. एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 23 (सी) के तहत अपराध के संबंध में कोई सबूत नहीं होने के बावजूद, तीनों अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है और उक्त अपराध के लिए सजा भी सुनाई गई है।

23. उस संबंध में, अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि न तो टोंगा (घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी) की तलाशी ली गई और न ही उसे जब्त करने का कोई प्रयास किया गया। टोंगा के चालक से भी कभी पूछताछ नहीं की गई। इस प्रकार, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, अभिलेख पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता किसी विदेशी देश/नेपाल से आते समय भारत की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर पाए गए थे।

एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 23 (सी) एक मूल अपराध है, जिसे न्यायालय द्वारा अनुमानित नहीं किया जा सकता था।

24. उपर्युक्त तर्कों को समझने के लिए, हमने अभिलेखों पर उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष के समर्थन में प्रदर्श दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जाँच की है।

25. शिकायतकर्ता से अ.सा.-2 के रूप में पूछताछ की गई है, जिसने अभियोजन मामले का पूरी तरह से समर्थन किया है। हालाँकि उन्होंने उन दो स्वतंत्र गवाहों का नाम लिया है जिनके सामने तलाशी और जब्ती प्रक्रिया की गई थी, अर्थात् अरुण कुमार और रमेश पटेल, लेकिन परिवाद याचिका में उनके नामों का खुलासा नहीं करने या उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाहों के रूप में पेश नहीं करने का कोई कारण नहीं बताया है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत सभी औपचारिकताओं का पालन किया गया है, जिसकी पुष्टि अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेख पर लाए गए दस्तावेजों से की गई है। प्रदर्श-3, 9 और 10 साबित हो चुके हैं, जो एक निश्चित प्रमाण है कि अपीलकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, तलाशी ली गई थी और केवल इस बात से संतुष्ट होने पर कि उनके पास बिना किसी स्पष्टीकरण के मादक पदार्थ थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया। गिरफ्तारी *ज्ञापन* भी साबित हो गया है। अ.सा.-2 ने किसी भी बिंदु पर चूक किए बिना, विचारण न्यायालय के समक्ष उस प्रक्रिया का वर्णन किया है जिसके माध्यम से नमूने लिए गए थे, सील किए गए थे और विशेष रूप से अलग-अलग संख्या दी गई थी ताकि प्रत्येक अपीलकर्ता के पास मादक पदार्थों की खेप से लिए गए नमूनों की पहचान को बनाए रखा जा सके। अ.सा.-2 के अनुसार, नमूनों को बिना किसी देरी के कोलकाता प्रयोगशाला में भेजा गया और शेष नशीले पदार्थों को जब्त कर लिया गया और उसके बाद अदालत की अनुमति से नष्ट कर दिया गया।

26. हालाँकि, अ.सा.-2 ने अपनी प्रति-परीक्षा में, जैसा कि अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा सही ढंग से इंगित किया है, उसके द्वारा प्राप्त गुप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया था और न ही सूचना की ऐसी प्राप्ति के संबंध में कोई प्रतिवेदन एनडीपीएस अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्धारित समय के भीतर वरिष्ठ अधिकारी को प्रेषित की गई थी।

27. पूर्णता के लिए, हम एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 के उप-खंड (2) में निहित सटीक प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करते हैं, जो निम्नानुसार है:

"जहां कोई अधिकारी उप-धारा (1) के तहत लिखित रूप में कोई जानकारी लेता है या उसके प्रावधान के तहत अपने विश्वास के लिए आधार दर्ज करता है, तो उसे 72 घंटे के भीतर अपनी तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को इसकी एक प्रति भेजनी होगी।"

28. हालांकि, एक स्पष्टीकरण के रूप में, हम पाते हैं कि अ.सा.-2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष कहा है कि छापा मारने वाले दल में संजीव कुमार सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। सामान्य प्रक्रिया में, सीमा शुल्क विभाग के उपायुक्त हमेशा ऐसे दल, का नेतृत्व करते हैं, लेकिन वर्तमान मामले में, अपेक्षित जानकारी केवल मौखिक रूप से उपायुक्त को भेजी गई थी।

29. अपीलकर्ताओं में से एक की ओर से श्री सौरेंद्र पांडे ने जोरदार तर्क दिया है कि मौखिक जानकारी एन.डी.पी.एस. अधिनियम की योजना में सही नहीं बैठती है क्योंकि अंतर्निहित जाँच और सुरक्षा उपाय केवल यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत किसी मामले में झूठा फंसाया न जाए, जिसमें बहुत कठोर सजा का प्रावधान है। एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों के ऐसे मौखिक

अनुपालन पर निर्भर रहना कोई अनुपालन नहीं है, किसी भी महत्वपूर्ण अनुपालन से बहुत कम है।

30. हालांकि, हम विचारण न्यायालय के अभिलेख से पाते हैं कि छापेमारी करने वाले दल के सभी सदस्यों, जिनसे मुकदमे में पूछताछ की गई है, ने एक साथ कहा है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का पालन किया गया था और केवल अपीलकर्ताओं द्वारा छापेमारी करने वाले दल के सामने तलाशी लेने के लिए सहमत होने पर ही तलाशी ली गई थी। हालाँकि, उनमें से किसी ने भी स्वतंत्र ज़ब्त-सूची गवाहों का नाम न लेने या मामले को साबित करने के लिए उन्हें अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में न लाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन वर्तमान तथ्यों के आधार पर, ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि इस तरह की चूक ने अभियोजन पक्ष के मामले को किसी भी तरह से प्रभावित किया है। स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए है कि छापा मारने वाला दल सनक से काम न ले। यह महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक है जिसका उल्लंघन या उल्लंघन हल्के में नहीं किया जा सकता। इस सुरक्षा उपाय को लाने का एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच एजेंसी द्वारा किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया न जाए। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में यह माना गया है कि किसी सरकारी गवाह की गवाही को स्वतंत्र गवाहों द्वारा पुष्टि न किए जाने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। *रिजवान खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य; (2020) 9 एससीसी 627* में, *सुरिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य; (2020) 2 एससीसी 563* में प्रस्ताव से सहमत होते हुए, यह माना गया है कि स्वतंत्र गवाह की परीक्षा एक अपरिहार्य आवश्यकता नहीं हो सकती है और अभियोजन पक्ष के मामले के लिए जरूरी नहीं है, यदि अन्यथा, अभियोजन पक्ष की कहानी विश्वसनीय है।

31. राज्य (दिल्ली सरकार) बनाम सुनील एवं अन्य (2001) 1 एससीसी 652

मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले पर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए माना है कि यह एक पुरानी धारणा है कि पुलिस अधिकारी के कार्यों को प्रारंभिक अविश्वास के साथ देखा जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि पुलिस की कार्रवाई और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर कम से कम प्रारंभिक विश्वास किया जाए। किसी भी तरह से, न्यायालय इस धारणा के साथ शुरुआत नहीं कर सकता है कि पुलिस अभिलेख अविश्वसनीय हैं। उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि कानून के प्रस्ताव के रूप में, अनुमान इसके विपरीत होगा। यह कि पुलिस के आधिकारिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं, अनुमान का एक बुद्धिमान सिद्धांत है और इसे विधानमंडल द्वारा भी मान्यता दी गई है। ऐसा कहते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं, तो मामले का फैसला करने के लिए अन्य कारकों की सहायता ली जा सकती है और केवल तभी जब यह पाया जाता है कि या तो अभियुक्त पूर्वाग्रह से ग्रस्त है या मामला पूरी तरह से साबित नहीं हुआ है, अभियोजन पक्ष के संस्करण को बदनाम करने के लिए ऐसी खामियों पर भरोसा किया जाएगा।

32. हमने अभिलेख पर दस्तावेजों से पाया है कि रक्सौल में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के छापा मारने वाले दल द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई थी और दंडाधिकारी की उपस्थिति में सूची बनाने या नमूने लेने को छोड़कर सभी अनिवार्य प्रावधानों का पर्याप्त अनुपालन किया गया था।

33. एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52 (ए) जब्त स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के निपटान से संबंधित है। इस धारा में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो भी स्वापक औषधि, मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ या परिवहन जब्त किए जाते हैं, उन्हें निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के तहत

अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए। ऐसा करने से पहले, एक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें जब्त की गई दवाओं के विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, चिह्नों और संख्याओं के साथ अन्य पहचान संबंधी विवरण शामिल होंगे, और इस प्रकार तैयार की गई सूची की सत्यता प्रमाणित करने के प्रयोजनों के लिए दंडाधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाएगा; या ऐसे दंडाधिकारी की उपस्थिति में, ऐसी औषधियों के फोटोग्राफ लिए जाएंगे और ऐसी तस्वीरों को सत्य प्रमाणित किया जाएगा या प्रत्येक औषधि या पदार्थ के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति दी जाएगी और इस प्रकार तैयार की गई किसी सूची की सत्यता प्रमाणित की जाएगी।

34. यह धारा इस बात पर भी जोर देती है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत अपराध की सुनवाई करने वाला प्रत्येक न्यायालय, दंडाधिकारी द्वारा तैयार और प्रमाणित की गई सूची, फोटोग्राफ और नमूनों की सूची को ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।

35. वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी दंडाधिकारी को सूचित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसके समक्ष नमूने लिए जा सकते थे, लेकिन यह अपने आप में नमूना लेने की प्रक्रिया की सत्यता पर अविश्वास करने और यह जांचने के लिए इसे रासायनिक प्रयोगशाला में भेजने का कोई आधार नहीं होगा कि यह मादक है या नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यद्यपि **भारत संघ बनाम मोहनलाल एवं अन्य (उपरोक्त)** मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52(ए) के विश्लेषण पर पाया था कि एक दंडाधिकारी को नमूना लेने की प्रक्रिया की निगरानी करना आवश्यक है, लेकिन, अक्सर ऐसा नहीं किया जा रहा था। स्पष्टीकरण, शायद, यह था कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52(ए)(4) के अनुसार, धारा 52(ए) की उप-धारा (2) और (3) के अनुपालन में दंडाधिकारी द्वारा लिए गए और प्रमाणित नमूने, परीक्षण के

प्रयोजन के लिए प्राथमिक साक्ष्य का गठन करते हैं, विशेष रूप से इस तरह से जब्त किए गए नशीले पदार्थों के उत्पादन की अनुपस्थिति में। लेकिन एन.डी.पी.एस. अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, जो जब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य करता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न स्थायी आदेशों में नमूने लेने को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधानों में नमूने लेने के समय दंडाधिकारी की उपस्थिति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि ऐसी स्थिति में भी, जब दो प्रावधान एक-दूसरे के साथ परस्पर विरोधी हों, तो ऐसे विरोध को व्याख्या के प्रथम सिद्धांतों के आधार पर कानून के पक्ष में हल किया जाना चाहिए, लेकिन वैधानिक अधिसूचना को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने से, संबंधित अधिकारियों के मन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए, उस अवसर पर यह सुझाव दिया गया था कि केंद्र सरकार मामले की फिर से जांच करेगी और पूर्व-उल्लिखित दिशा में उपयुक्त कदम उठाएगी।

36. *भारत संघ बनाम मोहनलाल एवं अन्य (उपरोक्त)* में इस अवलोकन के परिणामस्वरूप क्रमशः 1988 / 1989 के स्थायी आदेश सं. 1 का सामान्य रूप से पालन किया गया। हालाँकि, वर्तमान में, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (जब्त, भंडारण, नमूना और निपटान) नियम, 2022 के नाम और शैली के तहत एक नया नियम लागू किया गया है। ये नियम भावी क्रियान्वयन के लिए हैं, लेकिन *यथावश्यक परिवर्तनों सहित*, ये पूर्व में उल्लिखित स्थायी अनुदेशों के समान हैं, विशेष रूप से दंडाधिकारी की उपस्थिति में नमूने लिए जाने की आवश्यकता के संबंध में।

37. वर्तमान मामले में, अभिलेखों से यह प्रतीत होता है कि नमूने, निश्चित रूप से, दंडाधिकारी के समक्ष नहीं लिए गए थे, बल्कि तस्वीरें अपीलकर्ताओं के शरीर की

तलाशी के समय ली गई थीं। पूर्व-उल्लिखित तस्वीरें परिवाद याचिका के अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न की गई थीं।

38. हम अभिलेखों से आगे पाते हैं कि नमूने एक सहायक, सुधीर कुमार के माध्यम से प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सूची को एक दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसने पाया कि नमूने लेने के बाद शेष मादक पदार्थों को नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद, इसे नष्ट करने के लिए विशेष न्यायाधीश, मोतिहारी से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई।

39. इस प्रकार, दंडाधिकारी के समक्ष नमूने लेने, निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उनकी सूची बनाने और शेष मादक पदार्थों को नष्ट करने के मद्देनजर प्राथमिक साक्ष्य को बनाए रखने के उद्देश्य से पूरा किया गया है।

40. इस प्रकार, केवल इसलिए कि जब नमूने लिए गए थे तब एक दंडाधिकारी मौजूद नहीं था, हमारे पास अभियोजन पक्ष के इस कथन की सत्यता पर संदेह करने का कोई अन्य कारण नहीं है कि अपीलकर्ता अपने साथ मादक पदार्थ ले जा रहे थे।

41. यह सच है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 जैसे अधिनियम में, जिसमें विपरीत भार है, वैधानिक प्रावधान के किसी भी उल्लंघन को अभियुक्त के पक्ष में और अभियोजन के विरुद्ध पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन तथ्यों के वर्तमान सेट पर इस तरह का जोर देने से असंगत परिणाम सामने आएंगे।

42. **मोहन लाल बनाम पंजाब राज्य; (2018) 17 एससीसी 627**, में, हालांकि यह टिप्पणी किया गया है कि सबूत के विपरीत भार की प्रकृति में, अभियोजन पक्ष पर यह बताने का भार होगा कि जांच निष्पक्ष, न्यायसंगत थी और ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी जिससे इसकी सत्यता पर संदेह उत्पन्न हो, ऐसी टिप्पणियां केवल यह सुनिश्चित करने तक

सीमित हैं कि परीक्षण प्रक्रिया निष्पक्ष है। ऐसी टिप्पणी मूल संवैधानिक आधारों और आपराधिक न्यायशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्तों के पक्ष में संदेह किया जाए।

43. **मुकेश सिंह बनाम राज्य (दिल्ली की मादक पदार्थ शाखा; (2020) 10 एससीसी 120** में, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा केवल मामले की जांच करने या एन.डी.पी.एस. अधिनियम के किसी भी प्रावधान के किसी भी मामूली उल्लंघन के आधार पर मामले की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, खासकर जब मामला तेजी से लड़खड़ाता हुआ प्रतीत नहीं होता है।

44. इस मामले की परिस्थितियां यह नहीं दर्शाती हैं कि आरोपियों के साथ गलत व्यवहार किया गया है और उनके झूठे फंसाए जाने की संभावना है।

45. इस प्रकार, हम पाते हैं कि गुप्त सूचना के आधार पर अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से मादक पदार्थ बरामद किए गए। छापेमारी दल के समक्ष मौके पर ही नमूने लिए गए तथा उन्हें उचित संख्या में क्रमांकित किया गया। बिना किसी देरी के, नमूनों को रासायनिक प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसकी जांच प्रतिवेदन से यह पुष्टि हुई कि यह कुछ और नहीं बल्कि मादक पदार्थ है। उचित अनुमति के साथ, शेष मादक पदार्थों की खेप को नष्ट कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में लाए गए छापेमारी दल के सभी सदस्यों ने विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है।

46. इसलिए, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि केवल इसलिए कि मुकदमे में किसी स्वतंत्र गवाह की जाँच नहीं की गई है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामला अनिवार्य रूप से झूठा है।

47. हालाँकि, हम अपीलकर्ताओं की ओर से आगे की गई दलीलों से सहमत हैं कि केवल प्रत्येक अपीलकर्ता द्वारा रखे गए मादक पदार्थों के वजन में अंतर के कारण, उन्हें अलग-अलग सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। कानून का उल्लंघन हमेशा कानून का उल्लंघन है और वर्तमान मामले में, 4 किलोग्राम चरस की कम मात्रा भी वाणिज्यिक मात्रा से अधिक होगी, जो अपीलकर्ता/शेख वाजिद के पास थी, जिसे 10 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि अन्य दो अपीलकर्ताओं को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (b) (ii) (c) के तहत 12 साल की सजा सुनाई गई है।

48. इसलिए, हम 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1081 में अपीलकर्ताओं/शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन और सुजय दास की सजा को 12 साल से संशोधित करके 10 साल करना उचित समझते हैं और 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 865 में अपीलकर्ता/शेख वाजिद को दी गई 10 साल की सजा की पुष्टि करते हैं।

49. हम यह भी मानते हैं कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 23 (c) के तहत अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है।

50. इसलिए, हम उपरोक्त धारा के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और सजा को कानून की नजर में गलत पाते हैं।

51. इसलिए, हम एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 23 (सी) के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि और उन पर लगाए गए दंड को दरकिनार करते हैं।

52. इस प्रकार, एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20(b)(ii)(c) के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है और 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1081 में अपीलकर्ताओं/शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन और सुजय दास की सजा को 12 साल से घटाकर 10 साल किया जाता है।

53. 2019 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1081 में अपीलकर्ताओं/शेख इम्तियाजुद्दीन उर्फ गियासुद्दीन और सुजय दास की सजा में आंशिक संशोधन के साथ अपीलों को खारिज किया जाता है।

54. इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक को तत्काल अनुपालन और अभिलेख हेतु भेजी जाए।

55. इन अपीलों के अभिलेखों को तत्काल विचारण न्यायालय को वापस भेज दिया जाए।

56. अंतरिम आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(विपुल एम. पंचोली, न्यायाधीश)

सचिन/प्रवीण-॥

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

